Purva Mimaansa
A Multi-discipinary Bi-annual Research Journal
(Peer Reviewed, Refereed)

Vol. 10 No. 1-2, March-Sep. 2019
ISSN : 0976-0237
UGC Approved Journal No. 40903
Impact Factor 3.765

उच्च मध्यवर्गीय न्यायिक चेतना – न्याय व्यवस्था के संदर्भ में

डॉ लीना गोयल

सारांशः–

मध्यवर्ग के व्यापक स्वरुप के कारण किसी सर्वमान्य परिभाषा में बांधना जटिल कार्य है। इसके अपरिभाषित होने का एक मुख्य कारण यह है मध्यवर्ग केवल एक जैसे गुण धर्म वाले लोगों का समूह नहीं होता। कहा जाता है कि पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था ने जब समाज को जटिल बना दिया तो एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता अनुभव हुई जो इस जटिल व्यवस्था को एक संगठित सूत्र की तरह संभाल सके। इस वर्ग को मध्यवर्ग कहा गया। एक समय था जब इस वर्ग को बुद्धि प्रधान वर्ग भी कहा जाता था। इसमें अध्यापक रीडर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, वकील, इंजीनियर इत्यादि भाामिल किये जाते थे। परन्तु देश के वैज्ञानिक युग के तेजी से प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होने के कारण इनमें नए–नए पदों का उदय दृष्टिगोचर होने लगा देश के शासन तंत्र को सुदृढ बनाने से लेकर उसकी नीतियों का सम्पन्न करने के लिए विशेष श्रेणियों का उदय हुआ जिसमें न्याय व्यवस्था में उच्च अधिकारियों से लेकर कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी भी सम्मिलित किए गए। अपनी स्थिति स्वरुप, चरित्र, व्यवहार तथा अन्य विशेषताओं के कारण यह वर्ग समाज का प्रतिनिधित्व तो करता है परन्तु अपने से उच्च अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित एवं शोषित भी रहता है अतः अर्थगामी होते हुए भी सदैव अभाव महसूस करता है इनकी इच्छाएं आकाक्षाएं तृप्त बनी रहती है जिन्हें तृप्त करने के लिए यह अमानवीय कार्य करने को भी तैयार हो जाता है ऐसे ही कार्यो में इस उच्च मध्यवर्ग की चेतना उद्घाटित होती है।

यह एक ऐसा वर्ग समूह है जो प्रत्यक्ष रुप से देश का शासन चलाता है। सरकार का कार्य यदि नीतियां बनाना है तो यह नीतियां भी इस न्याय व्यवस्था की सहायता के बिना नहीं बन सकती। इन नीतियों को लागू करने का कार्य भी यही वर्ग करता है। निष्कर्षतः सरकार तो नामात्र की शासिका है। सही रुप में भाासक यही सरकारी नौकर है। ये पूर्णतः व्यवस्था के प्रति निष्ठावान होते है। उसकी गलत सही नीतियों को अनुसरण एवं उनका पालन कर अपनी स्वार्थ पूर्ति करना इनका प्रमुख कर्त्तव्य होता है। जो इस वर्ग की चेतना का आभास करवाता है। मध्यवर्ग की यह चेतना इतनी भाक्तिशाली होती है कि यह पल भर में किसी भी नागरिक को मनुष्य से देवता या दानव बना सकती है। केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति करने वाला यह वर्ग इनसे अच्छे बुरे हर तरह के कार्य करवाता है। मध्य वर्ग का नीरू उच्च मध्यवर्ग की इस चेतना का शिकार है। वह एक आदर्श व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है। जो जमींदार हुर देशराय के यहां नौकरी करता है। दो महीनों का दस रुपया वेतन पाता है। मिल में आठ आना रोजाना कमाकर परिवार को समृद्ध करने का भरसक प्रयत्न करता है। किंतु बाद में तहसीलदार गजेन्द्र सिंह के यहां नौकरी कर लेता है। तहसीलदार का मुंशी गरीबों पर अत्याचार करता है। नीरु देखता है कि मुंशी दुक्खी लाल जो सीनियर तहसीलदार है किस तरह किसानों से लगान वसूलते हैं। किसान कसाई के हाथ में पड़ी

असिटैंट प्रो. हिन्दी विभाग, सनातन धर्म कॉलेज अम्बाला छावनी।
e-mail: drleenagoyal1412@gmail.com | Mobile : 8295951412

Vol. 10 No. 1-2, March-Sep. 2019
ISSN : 0976-0237
UGC Approved Journal No. 40903
Impact Factor 3.765

गाय की तरह निरीह आंखों से दया की भिक्षा मांग रहे हैं। नीरु की आंखों में वेदना उभरी है। मुं ी जी ने नीरु को समझाते हुए कहा कि –''बेटा रिवाज न बिगाड़ना। ये किसान रुपया पीछे एक आना फर्खतियावन खुद देते हैं। जोश में आकर उसे इन्कार न करना। जानते तो हो ही जमींदार के यहां तनख्वाह मिलती है 3 रुपये। ये पेशा सोने के अंडे उगलता है। सो धीरे–धीरे अंडे बटोरना, न इंकार करना, न जल्दबाजी।''[1] निजी स्वार्थ व्यक्ति को दुर्बल बना देते हैं। पारिवारिक समस्याओं के कारण वह अपना विवके खो बैठता है और व्यवस्था की मार को चुपचाप सहन करता चला जाता है। यही कारण है कि उसी मालिक की आज्ञा का पालन कर गरीब किसानों पर अत्याचार कर लगान वसूलना पड़ता हैं। आद ावादी नीरु इन भ्रश्ट तत्वों के चक्रव्यूह में इस प्रकार फंस जाता है कि वह भी उच्च मध्य वर्ग की सभी प्रवृत्तियों को अपना लेता है। इस प्रकार नौकरशाही भ्रष्टाचार और आंतक की कसौटी को नहीं छोड पाती। पानी के प्राचीर का नीरू एक ऐसा अधिकारी है जो अपनी दुर्बलताओं के कारण ही भ्रष्ट तत्वों से पराजित होता है। उसके आदर्शो के परखचे हवा में उड़ जाते है। रीता कुमार ने इस संबंध में कहा है कि –''समाज में परिवर्तन लाने की आकांक्षा लेकर सरकारी नौकरी में आने वाला प्रत्येक युवक, सम्मान, शिक्षा, पद, परिवार रुपी महारथियों के चक्रव्यूह में फंस कर आत्महत्या का शिकार होता है। जीने के लिए उसे जीवन की विसंगतियों से समझौता करना पड़ता है।''[2] नीरु के आदर्शवाद ने भी इन्हीं विसंगतियों के कारण आत्महत्या कर ली। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण हमें विभिन्न अंचल विशेशों में प्राप्त होते है। जहां सरकार देश में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए तथा अपनी हुकूमत को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कार्य करवाती है फिर वह कार्य अच्छा हो या बुरा सरकारी नौकरी पेशा अधिकारियों को शासक वर्ग की आज्ञा के आगे नतमस्तक होना ही पड़ता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारतीय संरचना के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय सरकार ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विविधि प्रकार की जाति, लिंग, धर्म एवं रंग संम्बंधी विषमता का उन्मूलन भी किया। सरकार के समक्ष आज विभिन्न जाति– धर्म के व्यक्ति एक समान है। भारतीय सरकार ने पिछड़े समाज को चुनाव व्यवस्था की सुविधाएं प्रदान की इसके अतिरिक्त व्यस्क मताधिकार एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्व मानवता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा, चुनाव में उम्मीदवार की भूमिका निभाने के लिए उत्साहित करना इत्यादि अधिकार दिए जो वर्गीय–चेतना को बढ़ावा देते हैं। हिन्दी के आंचलिक उपन्यासों में भी ग्रामीण जनता में व्याप्त इस परिवर्तन को पूर्ण और व्यापक स्तर पर उद्घाटित किया गया है। सरकार के इस परिवर्तन में नौकरशाही ने अपनी–अपनी अनुसरण करने की प्रवृत्ति के अनुरूप पूरी–पूरी सहायता की है। जिससे यह स्पष्ट था कि नौकरशाही वर्ग व्यवस्था के समक्ष अत्यंत विवश एवं बौना होता है। शासक वर्ग की व्यवस्था के प्रति पूर्णरूपेण समर्पण भाव के कारण वह नतमस्तक हो उसका आज्ञाकारी बना रहता है।

बिहार अंचल के पुर्णिया जिले के मेरीग्रज ग्राम में भारत सरकार ने नियोजन द्वारा नवीन चेतना जागृत कर सरकारी मलेरिया सैंटर स्थापित करवाया। इस संबंध में डॉ. राम गोपाल सिंह चौहान ने लिखा – ''देश को आजादी मिलने के बाद नई चेतना की लहर भी गॉव में प्रवेश कर रही है। नई विकास योजनाओं का प्रचार आरम्भ हो गया है। गांव वासियों के स्वास्थय की देखभाल करने के लिए मलेरिया का प्रचार आरम्भ हो गया है और उसमें उत्साही देशभक्त नवयुवक डॉ. प्रंशात नियुक्त हो गया है।''[3] परानपुर ग्राम पर आधारित आंचलिक उपन्याय 'परती परिकथा' को डॉ. बृज भूषण सिंह आदर्श ने 'पुन निर्माण का उपन्यास' कहते हुए लिखा है'' रेणु के दूसरे

Vol. 10 No. 1-2, March-Sep. 2019
ISSN : 0976-0237
UGC Approved Journal No. 40903
Impact Factor 3.765

बहुचर्चित उपन्यास 'परती परिकथा' को हम स्थूल रूप से पुनर्निर्माण का उपन्यास भी कह सकते हैं। – लेखक ग्राम सुधार एवं विकास योजनाएं, जमींदारी उन्मूलन, लैंड सर्वे आपरेशन, कोसी योजना आदि समाजिक घटनाओं से परिचित करवाता चलता है।''[4]

इसी प्रकार स्वातंत्र्योत्तर जर्जर भारतीय ग्रामीण व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के अंतर्गत ग्राम–पंचायत की पुनःस्थापना एक महत्वपूर्ण चरण था। इसके लिए भारत सरकार एवं उसके आधार स्तम्भों (नौकरशाह) ने पंचायती राज के आगमन एवं कल्याणकारी कार्यो को पूर्ण प्रचार–प्रसार किया। हिन्दी के आंचलिक उपन्यास साहित्य में भारत सरकार के ग्राम पंचायत की पुनः स्थापना सम्बंधी प्रचार –प्रसार का चित्रण मिलता है। उत्तर प्रदेश के कछारांचल की पृष्ठभूमि पर आधारित आंचलिक उपन्यास 'जल टूटता हुआ' भारतीय सरकार द्वारा दिए गये इसी मताधिकार के आधार पर हाने वाले चुनाव के प्रचार–प्रसार का वर्णन बड़े सुंदर शब्दों में करता है। ग्राम पंचायत के चुनाव से पूर्व सतीश के प्रचार के लिए सतीश के पक्ष के कार्यकर्त्ता गीत गा–गा कर मस्ती के साथ प्रचार कर रहे हैं–

कि अइहो लोगवा ! जुग–जुग बाद।
बढ़िया आइल बा समइया कि अइहो लोगवा।
चुनइ पंचइतिया में
जे हो धरमी भइया कि अइहो लोगवा।''[5]

प्रजातांत्रिक सरकार के आगमन और उसके द्वारा चलाए गए जनतांत्रिक हित के कार्यक्रम जैसे जमींदारी उन्मूलन, सहकारी खेती, कोसी योजना, वयस्क मताधिकारी, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता इत्यादि देश में परिवर्तन लाने में सहायक हुए परंतु सरकार द्वारा चलाए जन कल्याण के अधिकांश लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिले जो सरकारी कार्य के कर्त्ता–कर्त्ता थे अथवा जनता का एवं इन कार्यक्रमों का नेतृत्व कर रहे थे। आंचलिक उपन्यासों में नौकरशाही वर्ग की इस चेतना को बहुत व्यापक स्तर पर वाणी प्रदान की गई है। 'माटी की महक' उपन्यास में सर्वाधिक स्पष्ट आकर्षक शब्दों में लिखा गया कि ''गांव में पंचायत का चुनाव हुआ। जटाधारी मुखिया चुना गया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी कालीचरण को बहुत मतों से पराजित कर दिया था। मुंशी जी सरपंच के लिए निर्विरोध चुने गए। अन्य पंच गांव के वे ही लोग चुने गए जो अब तक गांव की पंचायत बराबर करते आ रहे थे और भी अधिक स्पष्ट शब्दों में नौकरशाही के सम्बन्ध में ग्रामीणों के मुंह से कहलाया गया कि ''गांव के कुछ लोग कहते है– नयी बोतल में पुरानी शराब जैसी यह पंचायत बनी है। वे ही भ्रष्ट लोग पंचायत के सब कुछ बन गए, जिन्होंने गांव को तबाह कर रखा है।[6]

रिश्वत खोरी उच्च्व मध्यवर्गीय चेतना इतनी प्रभावशाली दृष्टिगोचर होती है कि उपेक्षित जन समूहों में भी यह वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्र के अधिकाधिक कल्याण के लिए संविधान में वचनबद्ध यह, स्वार्थपूर्ति के लिए क्रियाशील दिखाई देता हैं। इस कार्य को सम्पन्न करे के लिए रिश्वत, सिफारिश, परम्परागत झगड़े करवाना इनके सामान्य जीवन के अंग बनते जा रहे हैं। किसी भी योग्य व्यक्ति का सुविधाएं जुटाना, नौकरी प्रदान करना रिश्वत या सिफारिश पर निर्भर करता हैं। उच्च्व मध्य वर्गीय चेतना की इस शक्ति से उपेक्षित पिछड़ा जनसमूह भी अत्याधिक प्रभवित हुआ है जैसे कछार अंचल में ही रहने वाला नीरु भाहर नौकरी की तलाश में जाता है तो उसे विश्वास है कि उसे नौकरी मिलेगी लेकिन मिलिन्द उससे कहता है – क्या तुमने

Vol. 10 No. 1-2, March-Sep. 2019
ISSN : 0976-0237
UGC Approved Journal No. 40903
Impact Factor 3.765

किसी की सिफारिश भिड़ाई हैं। नहीं, तो मगर उसकी क्या जरुरत है। मेरी सनद तो फर्स्ट क्लास है वे लोग मेरे जवाब से काफी प्रसन्न दिखें। मिलिन्द नीरु के भोले पर पर मुस्कुरा दिया, जब बाद मे नौकरी किसी थर्ड क्लास व्यक्ति को दे दी गई तो नीरु को मिलिन्द की मुस्कुराहट एवं सिफारिश वाली बात समझ आई।''[7] ''मैला आंचल के तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के तहसीलदारी छोड़ने पर हरगौरी सिंह को तहसीलदारी मिली। इसके लिए उसे चार सौ रुपये की रि वत लेनी पड़ी।''[8] जो व्यक्ति चार सौ रुपये रिश्वत देकर पद प्राप्त कर रहा है, वह जनता को कैसे छोड़ देगा। अपना रिश्वत का पैसा पूरा करने के लिए वह जनता से रिश्वत लेगा। अतः कर्मचारियों के इस भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव जनता पर ही पड़ता है। मालगुजारी एवं कर वसूल करने वाले कर्मचारीगण ग्राम में आते हैं और समय पर कर न मिल पाने के कारण प्रारम्भ में रौब झाड़ते हैं और अन्त में अपने लिए उत्कोच (रिश्वत) लेकर एवं शांत होकर वापिस चले जाते है।''[9] पूर्वी उत्तर प्रदेश के करैंता ग्राम में भी सुखदूेव भाोभा राम मुंशी की प्रंशसा करते हुए कहते है कि —''जिधर हल्के में निकल जाय, बस मलाई काटता चला जाता है। माल उड़ाता है माल।''[10]

''गरीब धनुआ जिसके मवेशी को मार डाला गया, लोगों ने उसे थाने में रपट लिखाने का सुझाव दिया। धनुआ थाने में नाम से कांप गया। उसे मालूम था थाने जाने का क्या मतलब होता है। रुपये के अलावा पिटाई तो होगी ही, बार—बार की हाजिरी में खेती का नुक्सान होगा सो अलग ....।''[11] फणीश्वर नाथ रेणु ने न्याय व्यवस्था की इसी प्रवृत्ति को अपने उपन्यास 'मैला आंचल' में व्यावहारिक रुप में प्रस्तुत किया है । मेरीगंज में रहने वाला डब्लू जी मार्टिन अपनी पत्नी 'मेरी' से अत्यधिक प्रेम करता था। एक बार दवा दारु के अभाव में मेरी को मलेरिया हो गया। गांव में उचित इलाज की व्यवस्था न होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मार्टिन उसके भाोक में डूब गया। वह गांव में अस्पताल खुलवाने के लिए सरकार कचहारियों के चक्कर काटने लगा। इस प्रयत्न से निराश होने पर पत्नी की कब्र पर सारा दिन रोता रहता। 'डार्लिग डॉक्टर नहीं आएंगा'। और अन्त में पागल हो गया। बीस —बाईस साल के बाद गांव में अस्पताल खुला और मार्टिन को न्याय मिला। लेकिन मार्टिन इस अस्पताल को देखने के लिए जीवित नहीं रहा। मैला आंचल उपन्यास की यह घटना समाज की न्याय —व्यवस्था पर तीखा कटाक्ष करती है। निम्न मध्य वर्ग एवं मध्य वर्ग यह समझता है कि न्याय के पुजारी ये न्यायधीश जनता की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि धनी वर्ग की सुरक्षा के लिए कार्य करते है। इनका मुख्य उद्देश्य देश का कल्याण करना न होकर केवल उच्च सत्ताधारी वर्ग की हिमायत करना है। वह न्यायधीश जो सम्पूर्ण राष्ट्र की जनता के अधिकाधिक कल्याण के लिए संविधान में वचनबद्ध है वास्तव में उसका यह वचन जनता के कल्याण के लिए न होकर सत्ता के प्रति होता है। इसी कारण देश में सर्वत्र भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित हो गया है। आज देश के न्याय देने वाले न्यायाल भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए है। न्यायाधिकारी एवं न्याय व्यवस्था की इस प्रकार की गतिविधियां ही इस वर्ग में व्याप्त चेतना के दर्शन करवाती है तथा उत्कोच लेने देने के निर्बाध चलन से धनी वर्ग अधिक धनी व निर्धन अधिक निर्धन होता जा रहा है। आम आदमी तो न्याय के बारे में सोच भी नहीं सकता और यदि सोच लेता है। तो न्याय की प्रतीक्षा में जीवन भर चक्कर काटता रह जाता है। न्याय संस्था में प्रवेश करते ही जेबकतरों का आक्रमण उस पर हो जाता है। हर पेशी पर स्वयं को लुटवा क रवह निराश मन से घर लौट आता है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय ग्रामीण समाज का पुननिर्माण करने के लिए

Vol. 10 No. 1-2, March-Sep. 2019
ISSN : 0976-0237
UGC Approved Journal No. 40903
Impact Factor 3.765

भारत सरकार ने अनेकों विधानों का निर्माण किया। परन्तु उन विधानों को जनता में कार्यविन्त करने वाले न्यायलयों के जनता के प्रति व्यवहार में कोई भी परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता। ग्रामीण समाज को प्राप्त वर्तमान न्याय–व्यवस्था के संबंध में मानवतावादी प्रंशात सोचता है ''पेट । यही इनकी बड़ी कमजोरी है। मौजूदा सामाजिक न्याय विधान ने इन्हें अपने सैकड़ों बाजुओं में जकड़कर ऐसा लाचार कर रखा है कि वे चू तक नहीं कर सकते। .... फिर भी ये जीना चाहते है। वह उन्हें बचाना चाहता है। क्या होगा?''[12] न्यायलय में न्याय प्राप्त करने के लिए आए ग्रामीणों की दशा का वर्णन करते हुए कहते है कि ''कचहरी में जिले भर के किसान पेट बांध कर पड़े हुए है। दफा 40 की दर्खास्ते नामंजूर हो गई है, 'लोअर कोर्ट' से। अपील करनी है अपील? खोलो पैसा, देखो तमाशा। क्या कहते हो ? पैसा नहीं है तो हो चुकी अपील। पास में नकद नारायण हो तो नगदी कराने आओ। .... कानून और कचहरी कम्पोड़ में पलने वाले कीट पंतग भी पैसा मांगते है।[13] ''इसी प्रकार मेरीगंज ग्राम में तहसीलदार विश्वनाथ के आदमी संधालों से जमीन छुड़ाने के लिए खेतों पर जाते है, संधालों ओर जमींदारों के आदमियों में झगड़ा होता है ओर कई आदमी घायल हो जाते है। तहसीलदार पुलिस के थानेदार को रिश्वरत में पांच हजार रुपये देकर पूरे मुकदमें को अपने पक्ष में करा लेता है और न्यायालय संधालों को देता है– जीवन भर का कारावास''[14] न्याय व्यवस्था की इसी भ्रष्ट स्थिति के कारण जनता हताश हो गई है। इस पवित्र मानी जानी वाली संस्था से उसकी आस्था अथवा विश्वास टूट चुका है। न्याय –व्यवस्था में व्याप्त इसी भ्रष्टाचार का संकेत वीरभद्दर बाबू भी देते हुए कहते हैं – ''जब कचहरी में डवलफीस दाखिल करने से एक ही दिन में दस्तावेज का निकास होता है तो समावत्ती की क्या बात है?[15]

बिहार अंचल के रामपुर गांव में भारतीय न्याय व्यवस्था में प्रचलित भ्रष्टाचार का यथार्थ चित्रण दिखाई देता है। मुकदमें की पैरवी एतवारी का ससुर और नीलाचक के भरड़ ने अपने हाथ में लिया। दौड–धूप शुरु हुई। जगह–जगह रिश्वत देने दिलाने की बातें होने लगी। अफसरों के दलालों की बन आई। वकीलों की जेबे गरम होने लगी। हाकिम के पेशकारों ने एक ही जगह तीन लेना भारु किया। मुंगेर कचहरी में हलवाई और बनारसी लस्सी की बिक्री बढ़ गई। अन्त में सेसन कोर्ट से एतवारी को जमानत मिली। .... जमानत प्राप्त करने के उपरांत एतवारी मिसर की प्रतिष्ठा को समाप्त करने एवं उसे जेल पहुंचाने के लिए मिसर के विरुद्ध बलात्कार का मुकद्दमा चलवा देता है। ''खगड़िया अस्पताल के डॉक्टर को दो सौ रुपये घूंस देकर बलात्कार करने का प्रमाण पत्र भी ले लिया गया। थाने के अफसरों ने जब यह बात सुनी, तो वे हँसने लगे। नीलाचक के शरड़ ने केस को संगीन बनाने के लिए थाने में जाकर भारी नजराना पेश किया। चौकीदार से लेकर जमादार तक सबों का मुंह भरना पड़ा। इधर मिसर ने भी रामाबाण छोड़ना शुरु किया। महीन चूड़ा, चावल, घी, फल आदि थाने पर पहुंचने लगे। भरा हुआ लिफाफा पहुंचाया गया। दोनों और दरोगा को मिलाने के लिए होड़ मची थी।''[16]

एक अन्य स्थल पर मानवता वादी मैनू काका भारतीय न्याय व्यवस्था का अप्रत्यक्ष रुप से परिचय करवाते हुए कहते है– ''आज ज्यादा पैसा हो गया है तो गांव में कोई किरती बनवा दो आज तक जिसने भी कचहरी में पैर रखा है, पनप नहीं सका। अगर दरखास्त पर मोहर भी लगवाना है तो पहले चपरासी के हाथ में चवन्नी थमा दो, तब कहीं मोहर पड़ेगी। अनाज बेचकर जमीन बेचकर, मुकदमा लड़ना कहां की अक्लमंदी है।''[17] स्पष्ट हो जाता है है कि न्यायिक संस्था में धन के बल पर ही न्याय मिलता है। न्यायधिकारी अपनी मुट्ठी की गर्माहट देखकर ही अपना

Vol. 10 No. 1-2, March-Sep. 2019
ISSN : 0976-0237
UGC Approved Journal No. 40903
Impact Factor 3.765

फैसला सुनाता है। आंचलिक उपन्यासों में भारतीय न्याय व्यवस्था की इस स्थिति का अत्यल्प वर्णन भी इसकी अधिकतर सभी प्रवृत्तियों को उजागर कर देता है। देश आजाद होकर भी आजाद नहीं हैं। न्याय व्यवस्था में स्वंतत्रता प्राप्ति के बाद भी राखल काका भी आजादी से प्रसन्न नहीं है वे कहते है –''वैसे ही ब्रह्मपुत्र में बहकर आती लकड़ी पर टैक्स लगा हुआ है, वैसे ही पुलिस धौंस जमाती है, वैसे ही हमारे नेता हमें केवल वोट लेने के समय ही याद करते हैं .... अंधेर मचा हुआ है। दिया जलाकर ढूंढ देखो, न्याय नाम की चीज ही देश में नहीं मिलती।''[18]

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह सहज ही स्वीकार किया जा सकता है कि न्याय व्यवस्था के संदर्भ में उच्च मध्य वर्गीय चेतना पूर्णतः परिचालित रहती है। वह नहीं चाहती कि उसकी इस चेतना को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। विभिन्न क्षेत्रों में घटित उपर्युक्त सभी घटनाएं मध्य वर्गीय चेतना को न्यायिक व्यवस्था में उभारने में सहायक हुई है।

सन्दर्भ – सूचीः

1. मिश्र रामदरश, पानी के प्राचीर, अंकुर प्रकाशन, दिल्ली; (1961) पृ. 161
2. कुमार रीता, स्वतंत्रयोत्तर हिन्दी नाटक, विभु प्रकाशन साहिबाबाद; (1980) पृ. 84
3. चौहान डॉ रामगोपाल सिंह, आधुनिक हिन्दी उपन्यास; विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा (1965) पृ. 223
4. 'आदर्श' डॉ बृज भूषण, हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन, (पृ. 450)
5. मिश्र रामदरश, जल टूटता हुआ; कृष्ण चंद बेरी एण्ड संस, वाराणसी (1969) (पृ. 300)
6. सच्चिदानंद 'धूमकेतु' माटी की महक ; वाणी प्रकाशन, पटना (1969) (पृ. 324)
7. मिश्र रामदर ा, पानी के प्राचीर, अंकुर प्रकाशन, दिल्ली; (1961) (पृ. 110)
8. रेणु 'फणीश्वर नाथ' मैला आंचल, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली (1954) (पृ. 145)
9. मिश्र रामदरश, जल टूटता हुआ; कृश्ण चंद बेरी एण्ड संस, वाराणसी (1969) (पृ. 208)
10. प्रसाद सिंह शिव, अलग अलग वैतरणी; लोक भारतीय प्रकाशन, इलाहाबाद 1967; पृ. 335
11. भट्ट उदशंकर, लोक परलोक; आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली 1958 (पृ. 65)
12 रेणु 'फणीश्वर नाथ' मैला आंचल, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली (1954) (पृ. 224)
13. वही (पृ. 182)
14. वही (पृ. 234)
15. रेणु 'फणीश्वर नाथ', परती परिकथा, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली (1957) (पृ. 228)
16. सच्चिदानंद 'धूमकेतु' माटी की महक ; वाणी प्रकाशन, पटना (1969) (पृ. 220)
17. वही (पृ. 224)
18. सत्यार्थी देवेन्द्र, ब्रह्मपुत्र, एशिया प्रकाशन, दिल्ली (1956) (पृ. 207)